"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 जनवरी 2009—पौष 12, शक 1930

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उपनाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं संदीप सिंह डोंगरे आत्मज स्व. आनन्द सिंह डोंगरे, उम्र 41 वर्ष, निवासी एम. आई. जी. 01/337 हुड़को भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं अपने उपनाम को परिवर्तित कर संदीप सिंह गुर्जर रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपत्र-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे संदीप सिंह गुर्जर आत्मज स्व. आनन्द सिंह के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
संदीप सिंह डोंगरे	संदीप सिंह गुर्जर
आत्मज स्व. आनन्द सिंह डोंगरे	आत्मज स्व. आनन्द सिंह
निवासी-एम. आई. जी. 01/337	निवासी-एम. आई. जी. 01/337
हुड़को भिलाई	हुड़को भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं अशोक कुमार डोंगरे आत्मज स्व. आनन्द सिंह डोंगरे, आयु 53 वर्ष, निवासी एम. आई. जी. 01/337 हुड़को भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं अपने उपनाम को परिवर्तित कर अशोक गुर्जर रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपत्र-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे अशोक गुर्जर आत्मज स्व. आनन्द सिंह के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
अशोक कुमार डोंगरे	अशोक गुर्जर
आत्मज स्व. आनन्द सिंह डोंगरे	आत्मज स्व. आनन्द सिंह
निवासी-एम. आई. जी. 01/337	निवासी-एम. आई. जी. 01/337
हुड़को भिलाई	हुड़को भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.).

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ. ग.)

कांकेर, दिनांक 4 दिसम्बर 2008

क्रमांक/परिसमापन/08/736.—छत्तीसगढ़ सहकारी संस्थाएं अधिनियम 1960 के नियम 1962 के उपनियम 57(ग) के अन्तर्गत सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 70 के तहत उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, उ. ब. कांकेर (छ. ग.) द्वारा निम्नलिखित सहकारी समिति को परिसमापन में लाया गया है एवं मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतएव मैं के. एल. उईके, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कांकेर एतद्द्वारा यह सूचना जारी करता हूं कि निम्नलिखित सहकारी समिति से यदि किसी संस्था, व्यक्ति, शासन को किसी प्रकार का लेना शेष हो तो वह अपनी लेनदारी संबंधी दावा आवश्यक प्रमाणों के साथ इस सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 60 दिनों (साठ दिनों) की समयावधि में स्वयं उपस्थित होकर कार्यालय, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कांकेर में कार्यालयीन समय में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं समयावधि समाप्त के बाद प्राप्त होने वाली आपत्तियां अथवा दावे मान्य नहीं किया जावेगा तथा यह माना जावेगा कि इस सहकारी समिति से किसी की भी किसी प्रकार की लेनदारी शेष नहीं है.

निम्नलिखित सहकारी समिति का कोई अभिलेख अथवा सम्पतिं यदि किसी व्यक्ति/संस्था के पास हो तो निवेदन है कि इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 15 दिवसों के अन्दर मेरे पास कार्यालय में जमा करा देवें. जिन व्यक्तियों के पास इस सहकारी समिति का सम्पति अथवा अभिलेख होना पाये जाने पर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी जिसके अन्य व्यय एवं क्षति की सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित व्यक्ति/संस्था की होगी.

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र.	परिसमापन आदेश क्र.
1.	महिला बहुउदेशीय सह. समिति मर्या., बारदेवरी	425/07-01-97	क्र./उपकां/परि./06/274 दिनांक 05-05-06
2.	बस्तर आदि. युवा विकास सहकारी समि. मर्या., पीढ़ापाल	345/29-03-95	क्र./उपकां/परि./06/274 दिनांक 05-05-06

के. एल. उईके,
परिसमापक एवं वरिष्ठ सह. निरीक्षक.

कांकेर, दिनांक 4 दिसम्बर 2008

क्रमांक/परिसमापन/08/736.—छत्तीसगढ़ सहकारी संस्थाएं अधिनियम 1960 के नियम 1962 के उपनियम 57(ग) के अन्तर्गत सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 70 के तहत उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, उ. ब. कांकेर (छ. ग.) द्वारा निम्नलिखित सहकारी समिति को परिसमापन में लाया गया है एवं मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतएव मैं आर. डी. कुल्हारा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कांकेर एतद्द्वारा यह सूचना जारी करता हूं कि निम्नलिखित सहकारी समिति से यदि किसी संस्था, व्यक्ति, शासन को किसी प्रकार का लेना शेष हो तो वह अपनी लेनदारी संबंधी दावा आवश्यक प्रमाणों के साथ इस सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 60 दिनों (साठ दिनों) की समयावधि में स्वयं उपस्थित होकर कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कांकेर में कार्यालयीन समय में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं समयावधि समाप्त के बाद प्राप्त होने वाली आपत्तियां अथवा दावे मान्य नहीं किया जावेगा तथा यह माना जावेगा कि इस सहकारी समिति से किसी की भी किसी प्रकार की लेनदारी शेष नहीं है.

निम्नलिखित सहकारी समिति का कोई अभिलेख अथवा सम्पति यदि किसी व्यक्ति/संस्था के पास हो तो निवेदन है कि इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 15 दिवसों के अन्दर मेरे पास कार्यालय में जमा करा देवें. जिन व्यक्तियों के पास इस सहकारी समिति का सम्पति अथवा अभिलेख होना पाये जाने पर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी जिसके अन्य व्यय एवं क्षति की सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित व्यक्ति/संस्था की होगी.

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र.	परिसमापन आदेश क्र.
1.	रेशम उद्योग सह. समि. बाबूकोहका	388/24-06-96	क्र./परि./518 दिनांक 05-09-07
2.	राजीव सह. उपभोक्ता भण्डार मर्या., कांकेर	400/04-09-96	क्र./परि./274 दिनांक 05-05-06
3.	तकनीकी एवं निर्माण सह. समिति मर्या., कांकेर	450/11-12-01	---,,---
4.	विश्वकर्मा मिस्त्री मजदूर सह. समिति मर्या., कांकेर	452/24-12-01	---,,---

आर. डी. कुल्हारा,
परिसमापक एवं वरिष्ठ सह. निरीक्षक.

कांकेर, दिनांक 4 दिसम्बर 2008

क्रमांक/परिसमापन/08/736.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा छ. ग. सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत जिला वृक्ष सहकारी समिति संघ मर्या. कांकेर, पंजीयन क्रमांक 451, दिनांक 20-02-2001 को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उ. प.का./परिसमापन/08/478/कांकेर दिनांक 02-07-08 से मुझे उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतएव छ. ग. सहकारी समितियां नियम 1962 के नियम 57(ई.) के अन्तर्गत यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उक्त संस्था के समस्त दावेदार/लेनदार, संस्था, व्यक्ति, निगम, शासन अपने दावे मय प्रमाणों के लिखित में इस प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कांकेर में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संस्था का रिकार्ड अभिलेख, सम्पत्ति आदि हो तो तत्काल मुझे सौंप देवे अन्यथा अवैध रूप से उक्त संस्था का रिकार्ड/अभिलेख, सम्पत्ति आदि अपने पास रखने पर दण्डात्मक कार्यवाही के वे भागीदार होंगे.

यह सूचना आज दिनांक 06-12-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से प्रकाशित की गई.

टी. ए. खान,
परिसमापक एवं वरिष्ठ सह. निरीक्षक.

कांकेर, दिनांक 4 दिसम्बर 2008

क्रमांक/परिसमापन/08/736.—छत्तीसगढ़ सहकारी संस्थाएं अधिनियम 1960 के नियम 1962 के उपनियम 57(ग) के अन्तर्गत सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 70 के तहत उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, उ. ब. कांकेर (छ. ग.) द्वारा निम्नलिखित सहकारी समिति को परिसमापन में लाया गया है एवं मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतएव मैं टी.एस. कुंजाम, स. वि. अ., कार्या. सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकास खण्ड, चारामा एतद्द्वारा यह सूचना जारी करता हूं कि निम्नलिखित सहकारी समिति से यदि किसी संस्था, व्यक्ति, शासन को किसी प्रकार का लेना शेष हो तो वह अपनी लेनदारी संबंधी दावा आवश्यक प्रमाणों के साथ इस सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 60 दिनों (साठ दिनों) की समयावधि में स्वयं उपस्थित होकर विकास खण्ड, चारामा में कार्यालयीन समय में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं समयावधि समाप्त होने के बाद प्राप्त होने वाली आपत्तियां अथवा दावे मान्य नहीं किया जावेगा तथा यह माना जावेगा कि इस सहकारी समिति से किसी की भी किसी प्रकार की लेनदारी शेष नहीं है.

निम्नलिखित सहकारी समिति का कोई अभिलेख अथवा सम्पति यदि किसी व्यक्ति/संस्था के पास हो तो निवेदन है कि इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 15 दिवसों के अन्दर मेरे पास कार्यालय में जमा करा देवें. जिन व्यक्तियों के पास इस सहकारी समिति का सम्पति अथवा अभिलेख होना पाये जाने पर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी जिसके अन्य व्यय एवं क्षति की सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित व्यक्ति/संस्था की होगी.

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र.	परिसमापन आदेश क्र.
1.	मत्स्य सहकारी समिति, माहुद	17/25-02-85	
2.	फसल चक्र परिवर्तन सहकारी समिति मर्या., चारामा	456/05-06-02	

टी. एस. कुंजाम,
परिसमापक एवं सह. वि. अ.

कांकेर, दिनांक 4 दिसम्बर 2008

क्रमांक/परिसमापन/08/736.—छत्तीसगढ़ सहकारी संस्थाएं अधिनियम 1960 के नियम 1962 के उपनियम 57(ग) के अन्तर्गत सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 70 के तहत उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, उ. ब. कांकेर (छ. ग.) द्वारा निम्नलिखित सहकारी समिति को परिसमापन में लाया गया है एवं मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतएव मैं ए. आर. नेताम, स. वि. अ., कार्या. सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकास खण्ड, कोयलीबेड़ा एतद्द्वारा यह सूचना जारी करता हूं कि निम्नलिखित सहकारी समिति से यदि किसी संस्था, व्यक्ति, शासन को किसी प्रकार का लेना शेष हो तो वह अपनी लेनदारी संबंधी दावा आवश्यक प्रमाणों के साथ इस सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 60 दिनों (साठ दिनों) की समयावधि में स्वयं उपस्थित होकर विकास खण्ड, कोयलीबेड़ा में कार्यालयीन समय में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं समयावधि समाप्त होने के बाद प्राप्त होने वाली आपत्तियां अथवा दावे मान्य नहीं किया जावेगा तथा यह माना जावेगा कि इस सहकारी समिति से किसी की भी किसी प्रकार की लेनदारी शेष नहीं है.

निम्नलिखित सहकारी समिति का कोई अभिलेख अथवा सम्पति यदि किसी व्यक्ति/संस्था के पास हो तो निवेदन है कि इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 15 दिवसों के अन्दर मेरे पास कार्यालय में जमा करा देवें. जिन व्यक्तियों के पास इस सहकारी समिति का सम्पति अथवा अभिलेख होना पाये जाने पर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी जिसके अन्य व्यय एवं क्षति की सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित व्यक्ति/संस्था की होगी.

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र.	परिसमापन आदेश क्र.
1.	बहुउद्देशीय सह. समि., परतापुर	329/25-03-64	

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	बहुउद्देशीय सह. समि., कडमें	482/25-03-66	
3.	बहुउद्देशीय सह. समि., कोयलीबेड़ा	428/23-03-65	

ए. आर. नेताम,
परिसमापक एवं सह. वि. अ.

कांकेर, दिनांक 4 दिसम्बर 2008

क्रमांक/परिसमापन/08/736.—छत्तीसगढ़ सहकारी संस्थाएं अधिनियम 1960 के नियम 1962 के उपनियम 57(ग) के अन्तर्गत सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 70 के तहत उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, उ. ब. कांकेर (छ. ग.) द्वारा निम्नलिखित सहकारी समिति को परिसमापन में लाया गया है एवं मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतएव मैं जी. पी. बिन्द, स. वि. अ., कार्या. सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकास खण्ड, भानुप्रतापपुर एतद्द्वारा यह सूचना जारी करता हूं कि निम्नलिखित सहकारी समिति से यदि किसी संस्था, व्यक्ति, शासन को किसी प्रकार का लेना शेष हो तो वह अपनी लेनदारी संबंधी दावा आवश्यक प्रमाणों के साथ इस सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 60 दिनों (साठ दिनों) की समयावधि में स्वयं उपस्थित होकर विकास खण्ड, भानुप्रतापपुर में कार्यालयीन समय में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं समयावधि समाप्त होने के बाद प्राप्त होने वाली आपत्तियां अथवा दावे मान्य नहीं किया जावेगा तथा यह माना जावेगा कि इस सहकारी समिति से किसी की भी किसी प्रकार की लेनदारी शेष नहीं है.

निम्नलिखित सहकारी समिति का कोई अभिलेख अथवा सम्पति यदि किसी व्यक्ति/संस्था के पास हो तो निवेदन है कि इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 15 दिवसों के अन्दर मेरे पास कार्यालय में जमा करा देवें. जिन व्यक्तियों के पास इस सहकारी समिति का सम्पति अथवा अभिलेख होना पाये जाने पर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी जिसके अन्य व्यय एवं क्षति की सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित व्यक्ति/संस्था की होगी.

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक	परिसमापन आदेश क्र.
1.	बहुउद्देशीय सह. समि., कोरर	336/25-03-64	
2.	प्राथ. दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पोड़गांव	415/28-02-97	

जी. पी. बिन्द,
परिसमापक एवं सह. वि. अ.

कांकेर, दिनांक 4 दिसम्बर 2008

क्रमांक/परिसमापन/08/736.—छत्तीसगढ़ सहकारी संस्थाएं अधिनियम 1960 के नियम 1962 के उपनियम 57(ग) के अन्तर्गत सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 70 के तहत उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, उ. ब. कांकेर (छ. ग.) द्वारा निम्नलिखित सहकारी समिति को परिसमापन में लाया गया है एवं मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतएव मैं व्ही. के. कोडोपी, स. वि. अ., कार्या., सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकास खण्ड, नरहरपुर एतद्द्वारा यह सूचना जारी करता हूं कि निम्नलिखित सहकारी समिति से यदि किसी संस्था, व्यक्ति, शासन को किसी प्रकार का लेना शेष हो तो वह अपनी लेनदारी संबंधी दावा आवश्यक प्रमाणों के साथ इस सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 60 दिनों (साठ दिनों) की समयावधि में स्वयं उपस्थित होकर विकास खण्ड, नरहरपुर में कार्यालयीन समय में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं समयावधि समाप्त होने के बाद प्राप्त होने वाली आपत्तियां अथवा दावे मान्य नहीं किया जावेगा तथा यह माना जावेगा कि इस सहकारी समिति से किसी की भी किसी प्रकार की लेनदारी शेष नहीं है.

निम्नलिखित सहकारी समिति का कोई अभिलेख अथवा सम्पति यदि किसी व्यक्ति/संस्था के पास हो तो निवेदन है कि इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 15 दिवसों के अन्दर मेरे पास कार्यालय में जमा करा देवें. जिन व्यक्तियों के पास इस सहकारी समिति का सम्पति अथवा अभिलेख होना पाये जाने पर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी जिसके अन्य व्यय एवं क्षति की सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित व्यक्ति/संस्था की होगी.

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक	परिसमापन आदेश क्र.
1.	प्राथ. वृक्ष सह. समि., मालगांव	292/25-11-91	
2.	प्राथ. वृक्ष सह. समि., सामतरा	290/25-11-91	
3.	प्राथ. वृक्ष सह. समि., बादल	295/25-11-91	
4.	आदिवासी बहु. सह. समि., कुरालठेमली	453/20-02-02	

व्ही. के. कोडोपी
परिसमापक एवं सह. वि. अ.

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, अकलतरा
जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.)

अकलतरा, दिनांक 18 दिसम्बर 2008

क्रमांक/परिसमापक/08/Q 2.— छ. ग. सहकारी समितियां नियम 1962 के उपनियम 57(5) के तहत परिसमापन की कार्यवाही हेतु सर्वसाधारण के लिये सूचना प्रकाशित की जाती है कि नीचे लिखे सहकारी संस्थाओं के दावेदार/लेनदार अपने दावे मय लिखित में एवं प्रमाणक के साथ इस विज्ञप्ति प्रकाशन के 30 दिन के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा उपलब्ध अभिलेखों एवं जानकारी के आधार पर परिसमापन की कार्यवाही की जावेगी.

यह भी सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इन संस्थाओं का रिकार्ड/संपत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवे अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

समितियां

1. चिमनी ईंट खपरा उद्योग सह. समि. मर्या., कोटमीसोनार, पं. क्र. 130
2. रफ्तार परिवहन सह. समि. मर्या., अकलतरा, पं. क्र. 73
3. उद्वहन सिंचाई सह. समि. मर्या., सुल्ताननार, पं. क्र. 35
4. सामूहिक कृषि सह. समि. मर्या., डोंगरी, पं. क्र. 30
5. आदर्श उत्खनन कामगार एवं कारीगर सह. समि. मर्या., मड़वा, पं. क्र. 172

आर. के. कौशिक,
परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2009.